# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
# वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर।

Email-ee.hajipur1.bcd@gmail.com

पत्रांक.................. दिनांक..................../2026

प्रेषक,

ई0 रंजीत कुमार
कार्यपालक अभियंता,
वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर।

सेवा में,

Singhal Enterprises
4th Floor, 34A Metcalfe Street,
Jain Center Kolkata.

विषय :- वैशाली जिला में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग :- (1) एकरारनामा संख्या–**03 SBD of Year 2023-24**
(2) कायदिश पत्रांक–604 दिनांक–07.03.2024
(3) इस कार्यालय का पत्रांक–1167 दिनांक–13.06.2025
(4) इस कार्यालय का पत्रांक–2358 दिनांक–20.11.2025
(5) इस कार्यालय का पत्रांक–2498 दिनांक–02.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु प्रसंगाधीन पत्र (2) द्वारा आपको कायदिश निर्गत किया गया है। इस कार्यालय का पत्रांक–1167 दिनांक–13.06.2025 पत्रांक–2358 दिनांक–20.11.2025 एवं पत्रांक–2498 दिनांक–02.12.2025 द्वारा कार्य की गति बढ़ाने हेतु अंतिम रूप से स्मारित करने के बावजूद आपके द्वारा उक्त कार्य को ससमय पूर्ण करने में कोई सार्थक रूची नही ली जा रही है, जो कि काफी खेदजनक एवं रोष का विषय है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्माण स्थल के निरीक्षण के क्रम में आपको कार्य में तीव्रता लाने/पूर्ण करने का निर्देश दिया गया एवं बार–बार स्मारित भी किया गया तथा आपके द्वारा आश्वासन भी दिया गया लेकिन आपके द्वारा कार्य को अनावश्यक रूप से मनमाने ढ़ंग से कार्य को धीमा रखा गया तथा कई बार पत्र के माध्यम से विस्तृत कार्य योजना एवं स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया था जो कि आदिनांक तक अप्राप्त है जिससे प्रतीत होता है कि उक्त पत्र प्राप्ति को आपके द्वारा गंभीरता पूर्वक संज्ञान में नही लिया गया जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये निर्देश की अवहेलना को दर्शाता है। कार्य में तेजी लाने का निदेश दिये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा उक्त निर्माण कार्य में कोई सकारात्मक सुधार नही किया गया जो काफी खेदजनक एवं दंडात्मक कार्रवाई के पात्र है।

अतः आपके योजना के निर्माण कार्य एवं समय के अनुपात में निर्माण की प्रगति धीमी पाये जाने के कारण उक्त कार्य की समाप्ति तक आपको अगले निविदा में भाग लेने से डिबार किया जाता है। साथ ही आपको निदेशित किया जाता है कि उक्त कार्य को दिनांक–30.06.2026 तक पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करें अन्यथा बाध्य होकर आपके एकरारनामा को विखंडित कर दण्डात्मक कार्रवाई एवं कालीकृत करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ई0 रंजीत कुमार)
कार्यपालक अभियंता,
वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर।

ज्ञापांक 82............ दिनांक 12/01/2026

प्रतिलिपि :–सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :–मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :–अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर/निदेशक, अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन–सह–क्रय कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:–यथोक्त।

(ई0 रंजीत कुमार)
कार्यपालक अभियंता,
वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर।